न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील 217/2023

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. गंगाराम 2. राणाराम 3. आईदानराम पुत्रान नारायणराम जातियान–जाट निवासीगण– साजीयाली, रूपजी राजाबेरी, तहसील पचपदरा जिला बालोतरा।		1. डालूराम पुत्र रामचन्द्र 2. तजाराम पुत्र रामचन्द्र 3. खेमाराम पुत्र ताजाराम जातियान–जाट निवासीगण मीठीबेरी, तहसील पचपदरा जिला बालोतरा। 4. अनुदेवी पत्नी मेगाराम जाति–जाट निवासी सुथारों की ढाणी, तहसील पचपदरा जिला बालोतरा। 5. बजरंग पुत्र दीपाराम जाट 6. मगाराम पुत्र दीपाराम जाट निवासीगण–खारी नाडी क्यार, तहसील पचपदरा। 7. तहसीलदार, गिडा, तहसील पचपदरा।

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ जोधपुर ★

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश कमांक न्याय आपके द्वार/2018/682 दिनांक 4.6.2018 एवं संशोधित आदेश कमांक 1013 दिनांक 3.7.2018 जो उपखण्ड अधिकारी, बायतू द्वारा पारित किया।

उपस्थितिः–

1. श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता, अपीलाण्ट की ओर से।
2. श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या एक से तीन की ओर से।
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7 की ओर से।
4. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद तामीली सूचना के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 07 अप्रेल, 2025

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या तीन ने न्याय आपके द्वार, 2018 अभियान के तहत अधीनस्थ न्यायालय के कैम्प कोर्ट–ग्राम रतेउ में एक प्रार्थना पत्र राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती के सम्बन्ध में पेश करते हुए निवेदन किया कि ग्राम

संभागीय आयुक्त जोधपुर

रामदेव नगर, पटवार मण्डल लापुन्दडा तहसील बायतू की जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 28 में नारणा, ताजा, डालू पिता रामचन्द्र 1/3 हिस्सा दर्ज है। जबकि नाराणा पुत्र राचमन्द्र द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/6 बेचान कर दिया। फिर भी नाराणा का नाम दर्ज है जो गलत है, उसे हटाया जावें तथा अनुदेवी पत्नि मेघाराम, बजरंग, मगाराम पिता दीपाराम हिस्सा 1/3 दर्ज है, जो गलत है, 1/3 के स्थान पर हिस्सा 1/6 दर्ज किया जावे।

प्रार्थी के द्वारा उक्त प्रकार का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त दिनांक को ही पटवारी हल्का एवं भू0अ0निरीक्षक लापून्दडा से राजस्व रेकर्ड की वस्तुस्थिती तलब की गई। जिस पर पटवारी हल्का एवं भू0अ0 निरीक्षक, लापून्दडा ने प्रार्थी के आवेदन के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकित अशुद्ध प्रविष्टी को दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करने का दिनांक 04.06.2018 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया।

प्रार्थी के द्वारा दिनांक 03.07.2018 को प्रार्थना पत्र पेश करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 4.6.2018 में खातेदार के मध्य अंकित किये गये हिस्से का गलत अंकन हो जाने से उसे संशोधित किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 3.7.2018 को ही संशोधित आदेश पारित करते हुए नारायणराम गोदपुत्र भारू, नारणा, ताजा, डालू पिता रामचन्द 1/3 किये गये अंकन के स्थान पर नारायणराम पिता रामचन्द्र 1/6, ताजा पिता रामचन्द्र 1/3, डालू पिता रामचन्द्र राजस्व रेकर्ड में अंकित किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त अपीलाधीन आदेश क्रमांक दिनांक 4.6.2018 एवं 3.7.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 2.8.2021 को प्रस्तुत की गई है।

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। दौराने सुनवाई अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील पेश करने बाबत अनुमति प्रार्थना पत्र एवं मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 2.8.2021 में अंकित तथ्यों के अनुसार यह अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की ओर से पेश प्रार्थना पत्र के अनुसार भूमि के अभिलिखित खातेदार नारायण पुत्र भारू को मुदकमें में न तो पक्षकार बनाया गया एवं न ही उन्हें सुनवाई का नोटिस दिया गया। उक्त तमाम कार्यवाही बाला–बाला की गई। इसके अलावा नारायण पुत्र भारू का दिनांक 15.03.2021 को स्वर्गवास हो गया व इसके पश्चात कोरोना

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

महामारी का प्रकोप हो जाने से दिनांक 15.7.2021 को स्व0 नारायण के वारिस की हैसियत से नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु पटवारी से जाकर मिले तो पटवारी ने रेकर्ड देखकर बताया कि जमाबन्दी में नारायण पुत्र भारू का इन्द्राज हटाकर हिस्सा बदल दिया गया है एवं ऐसा राजस्व अभियान के दौरान आदेश होने से किया गया है। तब अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय बायतू जाकर पता करवाकर नकल की अर्जी पेश कर दिनांक 16.7.2021 को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई तब अपीलान्ट को प्रथम बार जानकारी हुई है। हम अपीलार्थीगण स्व. नारायण के पुत्र एवं उत्तराधिकारी है। अपीलाधीन आदेश से हमारे अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है एवं हम इस आदेश से व्यथित पक्षकार है जिन्हे अपील करने का कानूनी अधिकार है। अतः अपीलार्थी को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। साथ ही अपील पेश करने में हुए उक्त अवधि के विलम्ब को क्षमा किया जावे एवं अपील को अन्दर मियाद शुमार की जावें। रेस्पोडेन्ट संख्या एक ता तीन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट की ओर पेश किये गये प्रार्थनों पत्रों को खारिज किये जाने का कथन किया एवं अनुमति नहीं दिये जाने एवं अपील को अन्दर मियाद शुमार नहीं किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश करने बाबत अनुमति प्रार्थना पत्र एवं मियाद प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकरान के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस को सुनने के उपरान्त न्यायहित में अपीलान्ट को अपील पेश करने की अनुमति दी जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है क्योंकि विचारण न्यायालय ने भूमि के खातेदार नारायण पुत्र भारू को मुकदमें में पक्षकार बनाये बिना एवं उसे नोटिस दिये बिना ही उसके अधिकारों को कुप्रभावित करने वाला आदेश पारित कर दिया है। इसके अलावा उपरोक्त प्रकरण में धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है क्यों कि धारा 136 के प्रावधानों के तहत जमाबन्दी में दर्ज किसी खातेदार का हिस्सा घटाया अथवा बढाया नहीं जा सकता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उसके विपरित जाकर नारायण पुत्र भारू की वल्दीयत को ही बदल दिया गया एवं राजस्व रेकर्ड में उसका हिस्सा भी कम कर दिया है। जमाबन्दी में नारायण पुत्र भारू का 1/2 हिस्सा वर्षो से दर्ज था जिसे शुद्धि पत्र के जरिये हटाने का आदेश दे दिया।

शुद्धि पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह शुद्धि पत्र पेश करते समय प्रारम्भ में त्रुटि कारित की गई एवं जमाबन्दी के वर्तमान इन्द्राजों के विरूद्ध इन्द्राज दर्शाते हुए शुद्धिकरण की

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

मांग की गई जबकि कोई शुद्धिकरण की आवश्यकता ही नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अभियान में जल्दबाजी करते हुए पटवारी की एकतरफा रिपोर्ट को आधार मानकर फैसला कर दिया एवं स्वयं ने मूल राजस्व रेकर्ड देखा तक नहीं, अन्यथा किसी भी सूरत में ऐसा आदेश पारित नहीं होता।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि स्व0 नारायण को जो अधिकार विरासत में भारू के पुत्र की हैसियत से अर्जित हुए थे, उन्हें समाप्त करने का कोई अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है व न ही रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि में कोई अधिकार कानूनन अर्जित हुए है। भारू के देहान्त के पश्चात उनका हिस्सा उनकी पत्नी सोनी के हिस्से आया तथा श्रीमती सोनी ने अपने हिस्से की भूमि मुझ गोदपुत्र के नाम वसीयत कर दी गई जिससे उनके पक्ष में उक्त भूमि में हिस्सा 1/2 हो गया। नारणा ने अपने हिस्से आई 1/2 हिस्सा भूमि में से 1/3 हिस्सा बेचान कर दिया। अपीलार्थीगण आज भी ख0सं0 238 व 239 के 1/2 हिस्से पर बहैसियत खातेदार काबिज है व काश्त करते है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा एक अजनबी व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर राजस्व रेकर्ड में उनके हिस्से की अंकित भूमि के इन्द्राजों को परिवर्तन करने का आदेश दे दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई पत्रावली संधारित नहीं की गई है और न ही सम्बन्धित पक्षकारान को आवश्यक पक्षकार मानते हुए सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। केवल मात्र पटवारी की एकतरफा व मिलावटी रिपोर्ट के आधार पर फैसला करते हुए अपीलान्टस को अनावश्यक मुकदमेंबाजी में धकेला गया है।

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों पर गौर फरमाते हुए अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनंक 04.06.2018 व 03.07.2018 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युत्तर में रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई यह कथन किया है कि रेस्पो0 संख्या तीन खेमाराम ने न्याय आपके द्वार, 2018 अभियान के तहत अधीनस्थ न्यायालय के कैम्प कोर्ट–ग्राम रतेउ में एक प्रार्थना पत्र राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती के सम्बन्ध में पेश करते हुए निवेदन किया था कि ग्राम रामदेव नगर, पटवार मण्डल लापुन्दडा तहसील बायतू की जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 28 में नारणा, ताजा, डालू पिता रामचन्द्र 1/3 हिस्सा दर्ज है। जबकि नाराणा पुत्र राचमन्द्र द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/6 बेचान कर दिया। फिर भी नाराणा का नाम दर्ज है जो गलत है, उसे हटाया जावें तथा अनुदेवी पत्नि मेघाराम, बजरंग,

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

मगाराम पिता दीपाराम हिस्सा 1/3 दर्ज है, जो कि गलत है, 1/3 के स्थान पर हिस्सा 1/6 दर्ज किया जावे।

रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रार्थी के द्वारा उक्त प्रकार का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त दिनांक को ही पटवारी हल्का एवं भू0अ0निरीक्षक लापून्दडा से राजस्व रेकर्ड की वस्तुस्थिती तलब की गई जिस पर पटवारी हल्का एवं भू0अ0 निरीक्षक, लापून्दडा ने अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थी के आवेदन के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकित अशुद्ध प्रविष्टी की दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करने का दिनांक 04.06.2018 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया।

रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 3 के द्वारा दिनांक 03.07.2018 को प्रार्थना पत्र पेश कर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 4.6.2018 में खातेदार के मध्य अंकित किये गये हिस्से का गलत अंकन हो जाने से उसे संशोधित किये जाने का निवेदन किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 3.7.2018 को पारित संशोधित आदेश के द्वारा राजस्व रेकर्ड की वर्तमान की प्रविष्टी नारायणराम गोदपुत्र भारू, नारणा, ताजा, डालू पिता रामचन्द 1/3 कौम जाट साकिन राजाबेरी को संशोधित करते हुए नारायणराम पिता रामचन्द्र 1/6, ताजा पिता रामचन्द्र 1/3, डालू पिता रामचन्द्र 1/3 कौम जाट साकिन राजाबेरी को राजस्व रेकर्ड में अंकित किये जाने का आदेश पारित किया गया है जो कि पूर्ण रूप से उचित होने से यथावत रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि नारायण के द्वारा अपनी हिस्से मे से भूमि का बेचान अन्य पक्षकार को कर दिये जाने पर उसके पास 1/3 के स्थान पर 1/6 हिस्सा भूमि ही शेष रही थी। उक्त सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का ने रिपोर्ट भी दी थी कि राजस्व रेकर्ड की जॉच के अनुसार नामा0 संख्या 217, बेचान व जमाबन्दी सम्वत 2059–2062 में उक्त खाते में ताजा, डालू पिता रामचन्द्र हिस्सा 1/3 दर्ज है। अनुदेवी पत्नी मेघाराम, बजरंग, मगाराम पिता दीपाराम हिस्सा 1/6 दर्ज है जो सही है। परन्तु वक्त जमाबन्दी संधारण उक्त खाते में बेचानकर्ता नारणा पुत्र रामचन्द्र का नाम यथावत रह गया है जिसे हटाया जाना उचित है तथा अनुदेवी पत्नि मेघाराम, बजरंग, मगाराम पिता दीपाराम

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

का हिस्सा वर्तमान जमाबन्दी में 1/3 के स्थान पर नामा0 संख्या 217 व जमाबन्दी सम्वत 2059–2062 अनुसार 1/6 दर्ज किया जाना उचित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश विधि के अनुकूल होने से उचित है।

रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 3 खेमाराम की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि की दुरूस्ती करवाने हेतु ही आवेदन पेश किया गया था जिसे शुद्ध किये जाने के आदेश दिये गये है। अपीलान्ट के द्वारा यह अपील सारहीन आधार अंकित करते हुए पेश की गई है क्योंकि वह अपील में दर्ज कथनों से बाउण्ड है। वसीयत सम्बन्धी कथन और नारायण भारूराम के गोद गया है, के कथन अपील में नहीं लिखे गये है तो उन पर किसी प्रकार का गौर नहीं किया जा सकता है।

भारूराम की पत्नी सोनीदेवी थी। श्रीमती सोनीदेवी के देहान्त के पश्चात उनका फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। नारायण पुत्र रामचन्द्र के द्वारा अपने हिस्से की 1/3 हिस्सा भूमि बेचान कर दी गई जिसके बाद उसके पास 1/6 हिस्से की भूमि ही शेष रही थी। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्व रेकर्ड में खातेदारी भूमि में हम पक्षकारान के हिस्से की सही वस्तुस्थिति दर्ज करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, वो पूर्ण रूप से उचित होने से बहाल रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जावें।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गई बहस पर मनन व चिन्तन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से बगौर अवलोकन किया गया, जिससे यह पाया गया है कि अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपनी इस अपील में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या तीन खेमाराम के द्वारा खाता दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 4.06.2018 पर पारित अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में मुख्य आपत्ति यह की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण का निस्तारण किये जाने से पूर्व वादग्रस्त भूमि के खातेदारों को अपना पक्ष रखे जाने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है और सहखातेदारों के हक– हिस्से में आ रही भूमि के रकबे हिस्से को घटा कर कम कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र आनन–फानन में प्रकरण के निस्तारण करने की धारणा को ध्यान में रखते हुए तथा धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों का अनुसरण नहीं करते हुए केवल मात्र पटवारी हल्का की एकतरफा रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है जो कि निरस्त किया जावें।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन के अनुसार रेस्पो. संख्या 03 खेमाराम पुत्र ताजाराम के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के कैम्प कोर्ट ग्राम परेरू में दिनांक 04.06.2018 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत कराया गया कि जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 238, 239 की भूमि में नारणा, ताजा, डालू पिता रामचन्द्र 1/3 दर्ज है जबकि नाराणा पुत्र रामचन्द्र द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/6 बेचान कर दिया था। फिर भी राजस्व रिकार्ड में नाराणा का नाम दर्ज है, जो गलत है तथा अनुदेवी पत्नी मेधाराम, बजरंग, मगाराम पिता दीपाराम का हिस्सा 1/3 दर्ज है जो कि गलत है, के स्थान पर हिस्सा 1/6 दर्ज किया जावें। इस प्रकार से खाता दुरूस्ती करवाने हेतु निवेदन किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का एवं भू.अ. निरीक्षक से रिपोर्ट तलब की गई जिसमें पटवारी हल्का एवं भू.अ.निरीक्षक के द्वारा रिपोर्ट पेश करते हुए नामा० संख्या 217 ग्राम लापून्दडा मलवेचान व जमाबन्दी सम्वत 2059–2062 में उक्त खाते में ताजा, डालू पिता रामचन्द्र का हिस्सा 1/3 दर्ज है। अनुदेवी पत्नी मेघाराम बजरंग, मगाराम पिता दीपाराम हिस्सा 1/6 दर्ज है जो कि सही है। परन्तु वक्त जमाबन्दी संधारण उक्त खाते में बेचानकर्ता नारणा पुत्र रामचन्द्र का नाम यथावत रह गया है जिसे हटाया जाना उचित है तथा अनुदेवी पत्नि मेघाराम, बजरंग, मगाराम पिता दीपाराम का हिस्सा वर्तमान जमाबन्दी में 1/3 के स्थान पर नामा. संख्या 217 व जमाबन्दी सम्वत 2059–2062 के अनुसार हिस्सा 1/6 दर्ज किया जाना उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्व रेकर्ड में हुई त्रुटि / गलत प्रविष्टि को दुरूस्त किये जाने का जो उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, वो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के तहत ही पारित किया गया है। अपीलान्ट के द्वारा अपील में जो तथ्य दर्शाये गये है, वो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हो सकते। नारणा पुत्र रामचन्द्र के द्वारा अपने हिस्से में आई हुई भूमि का बेचान किये जाने के उपरान्त बेचान के अनुसार उनका नाम उक्त खसरे की खातेदारी से हटाया जाना था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उसी अनुसार रेस्पो. संख्या 3 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त किये जाने का आदेश पारित किया है जो कि उचित है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

ऐसें में हमारे विनम्र मत में उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त अपीलान्टस की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.06.2018 एवं दिनांक 03.7.2018 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 07 अप्रैल, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

(डॉ० प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर